सुधीर कत्याल और अन्य बनाम टरलॉक चंद

1839

( अमन चौधरी, जे.)

अमन चौधरी से पहले, जे.

सुधीर कत्याल और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

2020 का त्रिलोक चंद उत्तरदाता सी. आर. ए.-एम. No.10938

15 नवंबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 156, 197, 482-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. 21, 120-ख, 148,149,323,395,427,458,504-हरियाणा सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1972-एस. 4, 5-पी. जी. आई. एम. एस. रोहतक के प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा पी. जी. आई. एम. एस. रोहतक के परिसर के भीतर स्थित केमिस्ट की दुकान के किरायेदार के भाई की आपराधिक शिकायत से उत्पन्न कार्यवाही में निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्ताओं को बुलाए जाने वाले विवादित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका-चुनौती का आधार तीन गुना है-सबसे पहले, याचिकाकर्ताओं को सरकारी अधिकारी होने के नाते धारा 197 Cr.P.C के तहत प्राप्त पूर्व मंजूरी के अभाव में निचली अदालत द्वारा तलब नहीं किया जा सकता था।-दूसरा, दीवानी मुकदमेबाजी के बीच पक्षों ने उक्त संस्थान के पक्ष में समापन किया था-तीसरा, इससे पहले पुलिस अधिकारियों को कोई पूर्व शिकायत नहीं की गई थी। धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत की स्थापना-यह अभिनिर्धारित किया गया कि उन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन शुरू करना जिन्होंने कानून के अनुसार आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कार्य किया था और पारित समन आदेश कानून के विपरीत है-नीचे दिया गया न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाने के बाद कब्जा ले लिया गया था-समन आदेश बिना उचित दिमाग के आवेदन के पारित किया गया-पुनरीक्षण अदालत इसकी पुष्टि करके गंभीर त्रुटि में पड़ गई-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने के योग्य है-याचिका की अनुमति दी गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि निचली अदालतें इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल रहीं कि याचिकाकर्ताओं ने पीजीआईएमएस, रोहतक के अधिकारी होने के नाते सिविल कोर्ट के समक्ष 05 साल से अधिक की अवधि के लिए उपाय का पीछा किया था, जिसे शिकायतकर्ता पक्ष ने खो दिया था और हरियाणा सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा बेदखली का आदेश पारित किए जाने के बाद ही एक नोटिस जारी करके कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाने के बाद कब्जा ले लिया गया था और जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड और अन्य के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया था। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर), कि आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के प्रावधान

2022(2)

1840

सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही के मामले में लागू नहीं होते हैं, जो संक्षिप्त प्रकृति के होते हैं और केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, समन आदेश बिना उचित दिमाग के लागू किए पारित किया गया था और पुनरीक्षण न्यायालय भी अनिल कुमार बनाम के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखे बिना इसकी पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि में पड़ गया। एम. के. अयप्पा (2013) 10 एससीसी 705। (पैरा 18) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। (पैरा 20) आकाशदीप सिंह, अधिवक्ता, सीआरएम-एम-10938-2020 में याचिकाकर्ताओं की ओर से।

सी. आर. एम.-एम.-8132-2021 में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केशव प्रताप सिंह।

(2) वर्तमान याचिकाओं के माध्यम से आई. पी. सी. की धारा 323,504,458,427,395,148 और 149 के तहत दायर आपराधिक शिकायत No.489 दिनांकित <आई. डी. 3, अनुलग्नक पी-2 को रद्द करने की मांग की गई है, जिसे आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पढ़ा जाता है, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रोहतक की अदालत में लंबित है, समन आदेश दिनांकित 20.07.2012, अनुलग्नक पी-3 और आदेश 29.10.2015, अनुलग्नक पी-4, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही के साथ। (3) पिठिली, शिकायत प्रत्यर्थी द्वारा दर्ज की गई थी, जो पीजीआईएमएस रोहतक के परिसर में स्थित एक केमिस्ट की दुकान के किरायेदार का भाई है। उक्त शिकायत में, याचिकाकर्ता, जो पीजीआईएमएस रोहतक के प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी हैं, (इसके बाद 'संस्थान' के रूप में संदर्भित), अधीक्षक, सहायक, सुरक्षा अधिकारी और उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में और उप-सुधीर कत्याल और अन्य बनाम तारलोक चंद

1841

( अमन चौधरी, जे.)

उक्त संस्थान के कुलाधिपति को अभियुक्त-प्रत्यर्थी के रूप में रखा गया था। इसमें लगाए गए आरोप हैं कि आईडी2 व्यक्तियों ने प्रतिवादी के भाई की दुकान खाली कराने की कोशिश की थी और सभी आरोपी अन्य चिकित्सा उपकरणों के साथ आईडी1 लाख की दवाएं ले गए थे। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया था कि उन्होंने कुलपति से संपर्क किया था, जिन्होंने उनकी शिकायत पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके द्वारा निचली अदालत में शिकायत दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत द्वारा दिनांक 1, अनुलग्नक पी-3 के आदेश के माध्यम से तलब किया गया था, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष पुनरीक्षण में लिया गया था और इसे दिनांक 2, अनुलग्नक पी-4 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। (4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वास्तव में, आईडी2 पर, केमिस्ट शॉप के किरायेदार एस. के. गुप्ता का लाइसेंस, जो प्रतिवादी-शिकायतकर्ता का भाई है, रद्द कर दिया गया था, जिसे उनके द्वारा दिनांकित आईडी1 के दीवानी मुकदमे में चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने 24.05.2008 के फैसले और डिक्री के माध्यम से इसे खारिज कर दिया। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर अपील को भी दिनांक 13.08.2009 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया। पीड़ित-किरायेदार ने इसके बाद 2012 का आर. एस. ए. सं. 716 दायर किया था, जिसमें नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को चुनौती दी गई थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2012, अनुलग्नक पी-12 के निर्णय के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के ध्यान में लाया कि अंतराल के दौरान, संस्थान ने हरियाणा सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 11.01.2009 पर कार्यवाही भी शुरू की थी, जिसमें उक्त प्राधिकरण द्वारा 30 दिनों के भीतर उसे बेदखल करने के लिए संस्थान के पक्ष में 07.03.2011 का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को उन्होंने एक अपील दायर करके असफल रूप से चुनौती दी थी, जिसे रोहतक के आयुक्त ने 6.4.2011 पर खारिज कर दिया था। कुलपति ने विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से इस मामले में अनुलग्नक पी-5 दिनांकित कानूनी सलाह भी प्राप्त की थी, जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि एस. के. गुप्ता द्वारा केमिस्ट की दुकान के संबंध में दायर अपील को विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक द्वारा खारिज कर दिया गया है और अब दुकान को खाली कराया जा सकता है। इसके बाद ही, याचिकाकर्ताओं के संस्थान द्वारा दुकान पर कब्जा करने के लिए 19.01.2012 दिनांकित कार्यालय आदेश पारित किया गया था। जहां 19.01.2012 पर डी. डी. आर. दर्ज किए जाने के बाद, अनुलग्नक पी-6, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दुकान संख्या 8 का कब्जा ले लिया गया था, को आसपास के दुकानदारों की उपस्थिति में खाली कर दिया गया था, एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन अर्बन एस्टेट, एस. रामपाल, पीजीआई के सुरक्षा अधिकारी, आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के चिकित्सा अधिकारी

2022(2)

1842

(8) निवेदन का दूसरा अंग यह है कि याचिकाकर्ता के संस्थान के पूर्व किरायेदार ने अपने भाई के हाथों दुर्भावनापूर्ण तरीके से शिकायत दर्ज कराई थी, ताकि लाभ के भुगतान से बचा जा सके, क्योंकि दीवानी मुकदमेबाजी दोनों पक्षों के बीच उक्त संस्थान के पक्ष में समाप्त हो गई थी। (9) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत निवेदन का तीसरा अंग यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए, पुलिस अधिकारियों को लिखित रूप में एक पूर्व शिकायत की जानी थी और इस स्थिति में कि संबंधित पुलिस अधिकारी या उसके वरिष्ठ द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत एक शिकायत थी जो बनाए रखने योग्य थी। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि माननीय सुधीर कत्याल और अन्य बनाम टरलॉक चंद के निर्णय के संदर्भ में

1843

( अमन चौधरी, जे.)

2 2011 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 426 3 2008 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 875 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1844

(14) विद्वान वकील का तर्क है कि वर्तमान मामला उपरोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। (15) एकमात्र प्रत्यर्थी को जारी किया गया नोटिस वापस कर दिया गया है। हालाँकि, अवसर दिए जाने के बावजूद, उनकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

(16) सुना है।

सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही के मामले में स्वीकार्य नहीं हैं, जो हैं -

4 2012 (6) एस. सी. सी. 228 सुधीर कत्याल और अन्य बनाम तारलोक चंद

1845

( अमन चौधरी, जे.)

प्रकृति में सारांश और केवल आवश्यकता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है। इस प्रकार, समन आदेश बिना उचित दिमाग के लागू किए पारित किया गया था और पुनरीक्षण न्यायालय भी अनिल कुमार बनाम एम. के. अयप्पा 5 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार किए बिना इसकी पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि में पड़ गया। तत्काल मामले के लिए प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैः

“8. हम पहले इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या मजिस्ट्रेट, धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यांत्रिक या आकस्मिक तरीके से कार्य कर सकता है और रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद शिकायत के साथ आगे बढ़ सकता है। उपर्युक्त प्रावधान का दायरा कई मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। मकसूद सैय्यद मामले (ऊपर दिए गए) में इस न्यायालय ने धारा 156 (3) के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग के आवेदन की आवश्यकता की जांच की और कहा कि जहां धारा 156 (3) या धारा 200 के संदर्भ में दायर शिकायत पर अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है, मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसे मामले में, विशेष न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट एक वैध मंजूरी आदेश के बिना एक लोक सेवक के खिलाफ धारा 156 (3) के तहत मामले को संदर्भित नहीं कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा मन का प्रयोग आदेश में परिलक्षित होना चाहिए। केवल यह बयान कि उसने शिकायत, दस्तावेजों को देखा है और शिकायतकर्ता को सुना है, जैसा कि आदेश में परिलक्षित होता है, पर्याप्त नहीं होगा। शिकायत, दस्तावेजों और शिकायतकर्ता को सुनने के बाद, धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत जांच का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ क्या वजन था, आदेश में परिलक्षित होना चाहिए, हालांकि उनके विचारों की विस्तृत अभिव्यक्ति की न तो आवश्यकता है और न ही आवश्यकता है। हम पहले ही विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को निकाल चुके हैं, जिसने हमारे विचार में, जांच का आदेश देने का कोई कारण नहीं बताया है। ”

(19) पी. जी. आई. एम. एस., रोहतक के निदेशक डॉ. चंद सिंह ढुल द्वारा दायर एक याचिका में इस अदालत ने <आई. डी. 1 के फैसले के माध्यम से No.489 दिनांकित 25.01.2012 की शिकायत को रद्द कर दिया था, जिसमें 20.07.2012 दिनांकित आदेश और 29.10.2015 दिनांकित आदेश, संशोधन अदालत द्वारा पारित किया गया था, जैसा कि वर्तमान मामले में आक्षेप किया गया है।

5 2013 (10) एस. सी. सी. 705 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1846

कर्नाटक बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य 6, और जुगेश सहगल बनाम शमशेर सिंह गोगी 7, जिसने धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति के दायरे और दायरे को स्पष्ट किया। -

“7. …........नई संहिता की धारा 482, जो एस के अनुरूप है। 561-1898 की संहिता का ए, प्रदान करता है किः "इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो। "इस पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है जो यह है कि 31 में से 29 की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक आपराधिक मामले में, एक लंगड़े अभियोजन के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य, उस सामग्री की प्रकृति जिस पर अभियोजन की संरचना टिकी हुई है और इसी तरह न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय को उचित ठहराएगा। न्याय के उद्देश्य केवल कानून के उद्देश्यों से अधिक हैं, हालांकि न्याय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना है। इन टिप्पणियों को करने के लिए बाध्यकारी आवश्यकता यह है कि प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य की उचित प्राप्ति के बिना जो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने का प्रयास करता है

6 ए. आई. आर 1977 एस. सी 1489

7 2009 (14) एस. सी. सी. 683 सुधीर कत्याल और अन्य बनाम तारलोक चंद

1847

( अमन चौधरी, जे.)

राज्य और उसकी प्रजाओं के बीच न्याय के लिए उस प्रमुख अधिकार क्षेत्र की चौड़ाई और रूपरेखा को समझना असंभव होगा।

(22) जुगेश सहगल (ऊपर) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

18. अंतर्निहित शक्तियाँ उच्च न्यायालय को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं। शक्तियों का प्रयोग सावधानीपूर्वक और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए, जहां अदालत रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर आश्वस्त है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए। 19. हालांकि भजन लाल के मामले (ऊपर) में, अदालत ने चित्रण के माध्यम से सात श्रेणियों के मामलों को तैयार किया, जिसमें पूर्व-वर्णित प्रावधानों के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता था, फिर भी यह स्पष्ट किया गया कि सटीक और कठोर दिशानिर्देश या कोई कठोर सूत्र निर्धारित करना या उन परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं था जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था। ”

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1848

(23) इन मामलों के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और पूर्वगामी पैराग्राफ में निर्दिष्ट कानून को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को वर्तमान याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए राजी किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, आपराधिक शिकायत No.489 दिनांकित 25.01.2012, आदेश दिनांकित 20.07.2012 और 29.10.2015 के साथ-साथ उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही ने याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया। दिव्या गुर्नी